न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री समदर ंिह भाटी, आर.ए.एस
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कोर्ट केम्प बिशाला

क्रमांक रीडर/2023/ 2120

दिनांक – 25/7/23

प्रार्थीगण

1 गिरीराज 2 महेन्द्र कुमार पिसरान गोरधनराम निवासी चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर 3 रमेशलाल पुत्र हीरालाल निवासी गुडामालानी 4 चन्द्रकान्ता पत्नी दिलीप कुमार 5 अभिषेक जोशी पुत्र दिलीप कुमार जाति जोशी निवासी वार्ड संख्या 02 बालार्क मन्दिर के पास बाडमेर शहर 6 जोगाराम पुत्र बांकाराम जाति जाट निवासी आदर्श बस्ती बिशाला तहसील व जिला बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 किशनलाल पुत्र रूपाराम वगैराह जाति खत्री निवासी बिशाला तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :– 16/2023

दिनांक– 5/7/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण <u>मौजा आदर्श बस्ती बिशाला पटवार क्षेत्र बिशाला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 829 रकबा 22.06 बीघा भूमि</u> के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(हस्ताक्षर)
(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2023/ 2121–2124

दिनांक– 25/7/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बिशाला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. गिरीराज पुत्र गोरधनराम वगैराह जाति जोशी निवासी चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी किशनलाल पुत्र रूपाराम वगैराह जाति खत्री निवासी बिशाला तहसील गडरा रोड जिला बाडमेर।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर